



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239576
CG-DL-E-12102022-239576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]
No. 507]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2022

फा. सं. स्टैंडर्ड/एस पी-08/ए-1-2020/एन-01.—खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2021 के प्रारूप को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. स्टैंडर्ड/एस पी-08/ए-1-2020/एन-01, तारीख 6 सितंबर, 2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 8 सितंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,-

विनियम

1. (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।
(2) ये तारीख 1 मई, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा गया है), अनुसूची-II में,-
(i) पैरा 1 में, उप-पैरा (3) में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	खाद्य वस्तु	घोषणाएँ
"1.	पान मसाला	पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टिप्पणी : यह चेतावनी लेबल के सम्मुख भाग के 50% हिस्से पर आएँ”;

(ii) पैरा 2 में, उप-पैरा 2.5 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“2.6 विभिन्न प्रकार की ब्रेडों की लेबलिंग

स्तंभ (2) में उल्लिखित विभिन्न ब्रेडों के नाम नीचे सारणी के स्तंभ (3) और (4) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप हों:

क्रम सं.	ब्रेड का नाम	विशेषता संघटक	विशेषता संघटक की न्यूनतम मात्रा, आटे के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चोकरदार गेहूँ की ब्रेड	चोकरदार गेहूँ का आटा	चोकरदार आटा कम से कम 75% होना चाहिए
2.	गेहूँ की ब्रेड अथवा ब्राउन ब्रेड	चोकरदार गेहूँ का आटा	चोकरदार आटा कम से कम 50 % होना चाहिए
3.	सफेद ब्रेड	मैदा	-
4.	बहु-धान्य ब्रेड	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 द्वारा अनुज्ञात खाद्य धान्य	गेहूँ के अलावा अन्य धान्य न्यूनतम 20% होना चाहिए *
5.	विशेष ब्रेड	लेबल पर “ब्रेड” शब्द से पहले कोई शब्द लगाए जाने पर अपेक्षित विशेषता संघटक	
(क)	दुग्ध ब्रेड	दुग्ध के ठोस पदार्थ	6%
(ख)	शहद ब्रेड	शहद	5%
(ग)	चीज ब्रेड	चीज	10%
(घ)	जई के आटे की ब्रेड	जई	15%
(ङ)	टुटा गेहूँ/दलिया ब्रेड	टुटा गेहूँ / दलिया	15%
(च)	अंकुरित गेहूँ की ब्रेड	गेहूँ का अंकुर	2%
(छ)	अंडा ब्रेड	खाद्य साबुत अंडे के ठोस पदार्थ	1.5%
(ज)	फ्रूट ब्रेड अथवा लोफ	कैंडीड फल	10%
(झ)	ट्रिटिकेल ब्रेड	ट्रिटिकेल का आटा	20%

(ज)	राई ब्रेड	राई का आटा	20%
(ट)	किशमिश ब्रेड	किशमिश	10%
(ठ)	चोकर ब्रेड	खाद्य चोकर	5%
(ड)	प्रोटीन-प्रचुर ब्रेड	खाद्य प्रोटीन	15% प्रोटीन
(ढ)	ब्रेड, यथा लहसुन ब्रेड, मसाला ब्रेड, अरिगैनो ब्रेड इत्यादि	लहसुन, अरिगैनो इत्यादि	2%
(ण)	बीज के साथ ब्रेड यथा फ्लैक्स, तिल, पम्पकिन इत्यादि के बीज की ब्रेड	फ्लैक्स, तिल, पम्पकिन इत्यादि के बीज	5%

टिप्पण: विशेषता संघटक की गणना 100 ग्राम आटे के आधार पर है।

बहु-धान्य ब्रेड के मामले में विशेषता संघटकों की न्यूनतम मात्रा प्रवर्तन के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 10% और उसके बाद 20% होगी।

एस गोपालाकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./329/2022-23]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 1-94/एफएसएसएआई/एसपी/(लेबलिंग)/ 2014 (भाग-2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किया गया था:

1. फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02, दिनांक 10 सितंबर, 2021।
2. फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2021/एन-01, दिनांक 09 सितंबर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2022

F. No. Std/SP-08/A-1-2020/N-01.- Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number, F. No. Std/SP-08/A-1-2020/N-01, dated the 6th September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th September, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, namely: -

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Second Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on 1st May, 2023.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (hereafter referred to as the said regulations), in Schedule II, -

(i) In paragraph 1, in sub- paragraph (3), in the table, for Sl. No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

S. No.	Articles of food	Declarations
“1.	Pan Masala	CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH Note: The warning statement must cover 50% of front-of-pack of the label”;

(ii) In paragraph 2, after sub- paragraph 2.5, the following sub- paragraph shall be inserted, namely: -

“2.6 Labelling of various types of bread

The nomenclature of various breads mentioned in column (2) shall comply with requirements mentioned in columns (3) and (4) of the table below:

S. No. (1)	Name of Bread (2)	Specialty Ingredient (3)	Minimum amount of Specialty Ingredient as % of Flour (4)
1.	Whole Wheat Bread	Whole wheat flour (Atta)	Whole wheat flour should be at least 75%
2.	Wheat Bread or Brown Bread	Whole wheat flour (Atta)	Whole wheat flour should be at least 50%
3.	White bread	Refined wheat flour (Maida)	-
4.	Multigrain Bread	Food grains permitted under FSS (Food Product Standards & Food Additives) Regulations, 2011	Minimum 20% should be grains other than wheat*
5.	Specialty Bread	Specialty ingredient that must be present in case a prefix is added to the term “bread” on the label	
(a)	Milk bread	Milk solids	6%
(b)	Honey bread	Honey	5%
(c)	Cheese bread	Cheese	10%
(d)	Oatmeal bread	Oats	15%
(e)	Cracked wheat /Dhalia bread	Cracked wheat/Dhalia	15%
(f)	Bread with wheat germ	Wheat germ	2%
(g)	Egg bread	Edible Whole Egg solids	1.5%
(h)	Fruit bread or loaf	Candied Fruit	10%
(i)	Triticale bread	Triticale flour	20%
(j)	Rye bread	Rye flour	20%
(k)	Raisin bread	Raisins	10%
(l)	Bran bread	Edible Bran	5%
(m)	Protein enriched bread (Protein prachur bread)	Edible Protein	15% Protein

(n)	Bread such as Garlic bread, masala bread, oregano bread etc.	Garlic, Oregano etc.	2%
(o)	Bread with seeds such as flax seeds, sesame seeds, pumpkin seeds etc.	Flax Seeds, sesame seeds, pumpkin seeds etc.	5%

Note: The calculation of specialty ingredient is on 100g flour basis.

*The Minimum amount of Specialty Ingredient in case of Multigrain Bread shall be minimum 10% in the 1st year of enforcement and thereafter it shall be 20%.”

S GOPALAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./329/2022-23]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F.No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014 (Pt-2), dated the 17th November, 2020, and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (1) F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02, dated the 10th September, 2021.
- (2) F. No. Std/SP-08/A-1.2021/N-01, dated the 09th September, 2022.